भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

अधिसूचना सं0 90 (आर.ई.–2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त, 2014

विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 1.2 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2009–14 में निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करती है।

2. दिनांक 01.08.2013 की अधिसूचना सं.31 के द्वारा की गई प्रविष्टि के अनुसार विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.15 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

4.1.15 (क) "जहाँ कहीं भी सिओन के तहत किसी (क) जिनेरिक निविष्टि अथवा (ख) किसी वैकल्पिक निविष्टि की अनुमति दी जाती है, जब तक उस विशिष्ट निविष्टि(यों) का नाम [जिनका इस्तेमाल निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में किया गया है] संगत पोतलदान बिल में इंगित/पृष्ठांकित नहीं किया जाता है तथा इस प्रकार पृष्ठांकित इन निविष्टियों को संगत प्रविष्टि बिल में उल्लिखित विवरण के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तब तक संबंधित प्राधिकार–पत्र का मोचन नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, प्राधिकार–पत्र में प्रयुक्त की गई (अथवा प्रयोग की जाने वाली) निविष्टियों का नाम/विवरण पोतलदान बिल में दर्शाए गए नाम/विवरण से पूर्णतया मिलना चाहिए।

(ख) इसके अतिरिक्त, यदि किसी सिओन में निविष्टियों (एक से अधिक निविष्टि) की संख्या के सामने एक निविष्टि दर्शायी गई हो तो आयात हेतु अनुमत की जाने वाली ऐसी निविष्टियों की मात्रा, निविष्टियों के ऐसे समूह के लिए समग्र मात्रा के अन्दर उत्पादन में वास्तव में प्रयोग/खपत की गई इन निविष्टियों की मात्रा के अनुपात में होगी। निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तव में प्रयोग/खपत की गई इन निविष्टियों के अनुपात को पोतलदान बिलों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(ग) निर्यात दायित्व (ईओडीसी) के निर्वहन के समय अथवा मोचन के समय, क्षेत्रीय प्राधिकारी केवल उन्हीं निविष्टियों को अनुमत करेगा जिन्हें पोतलदान बिल में विशिष्ट रूप से दर्शाया गया होगा।"

3. इस अधिसूचना का प्रभाव: अग्रिम प्राधिकार–पत्र/डीएफआईए के तहत अनुमत की जाने वाली निविष्टि की मात्रा उत्पादन में वास्तव में प्रयोग/खपत की जाने वाली निविष्टि की मात्रा के अनुपात में होनी चाहिए।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/94/180/165/एएम12/पीसी–4 से जारी)